

आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज किया।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता शिवानी पल्लव पुष्पेन्द्र सिंह चौहान निवासी आई ब्लॉक गवर्नर विलास ने आरोपी भगवानदास गोवाल, अमित पुत्र भगवानदास अलका पत्नी भगवानदास, सोनम पत्नी अमित निवासी खारीवाल जगपुरा एवं पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया जिसमें पीड़ित ने बताया कि मेरे पति के साथ आरोपियों से हिस्सेदारी के काम शुरू कर ब्राण्ड बास्केट व ई एटयोरिट नाम से कपड़ों की दुकानें खोली, जिसमें दोनों ने हिस्से के अनुसार निवेश किया। कुछ समय बाद काम नहीं होने पर आरोपियों ने रूपये वसूल कर देने के लिए पति को परेशान करना शुरू कर दिया। इसके चले में पति पुष्पेन्द्र ने 15 जुलाई को विशाख वस्तु सेवन कर ली जिसके चलते दो दिन उसकी मौत हो गई। आरोपियों द्वारा परेशान करने से पति ने आत्महत्या की। इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।